



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी-11 में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-11) पे-मेट्रिस में लेवल-16 में वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/ संस्था-एबी/बी-11/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019-20 (नियमित) दिनांक:- 24.05.2019 द्वारा चयन किया गया। उक्त चयनित कार्मिकों के पदस्थापन काउंसलिंग उपरान्त इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 1-395 दिनांक 25.10.19 को जारी किये जाकर दिनांक 08.11.19 तक कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्धारित कार्यग्रहण तिथि एवं कार्यग्रहण अभिवृद्धि उपरान्त कार्यग्रहण नहीं किये जाने के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/ डीपीसी-2019-20/वो-1/2019 दिनांक:-26.11.2019 द्वारा पदोन्नति परित्याग आदेश जारी किये गये थे।

श्रीमति सुनीता जांगिड, व्या0(वरिष्ठता- 1977/2010-11 जन्मतिथि 01.12.1982) राउमावि छाणीबडी, हनुमानगढ को राउमावि, 10के0डी0 रावलागांव-घडसाना, श्रीगंगानगर में पदस्थापित किया गया था। लेकिन निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने के कारण इस कार्यालय के आदेश दिनांक:- 26.11.2019 द्वारा पदोन्नति परित्याग आदेश भी जारी कर दिया गया था। श्रीमति जांगिड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इनका पदोन्नति परित्याग आदेश कार्मिक की हद तक प्रत्याहरित किया जाकर इन्हे दिनांक:- 24/12/2019 तक कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर इनका पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।


हिमांशु गुप्ता
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी-2019-20/पदस्थापन/2019

दिनांक:- 23.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा।
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक।
08. संबंधित मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
09. संबंधित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि तक कार्मिकों के कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवे।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है वे शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से जरिये संस्था प्रधान करेगे।
11. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)